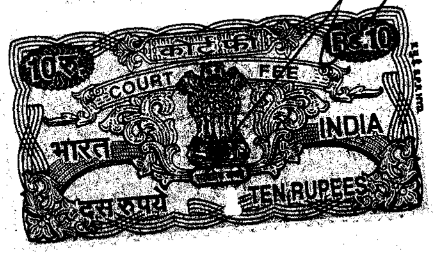

(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–दतिया

रिव्यू- 545 II/13

1– वीर सिंह पुत्र हरी सिंह कुशवाह
2– संतोष पुत्र हरी सिंह कुशवाह
3– रामकिशोर पुत्र हरी सिंह कुशवाह
4– बलराम पुत्र मातादीन
निवासीगण– ग्राम कुदारी तहसील
सैवढ़ा, जिला–दतिया (म.प्र.)
.... आवेदकग

विरूद्ध

श्री ... द्वारा आज दि 8.2.13 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

8.2.13

1– ठाकुरदास पुत्र धरमू कुशवाह
2– कुमारी संध्या पुत्री ठाकुरदास
3– कुमारी बंदना पुत्री ठाकुरदास
4– संजय पुत्र ठाकुरदास नाबालिग
लगायत 4 पुत्र, पुत्री सरपरस्थी पि
ठाकुरदास पुत्र धरमू कुशव
निवासीगण– ग्राम गुमानपुरा तहस
सैवढ़ा, जिला–दतिया (म.प्र.)
5– श्रीमती कांतीदेवी पुत्री मुल्लू प
सुरेन्द्र कुशवाह, निवासी– ग्राम क
तहसील लहार, जिला–भिण्ड (म.प्र.)
6– श्रीमती ज्ञानवती पुत्री मुल्लू प
राजेश, निवासी– ग्राम बहरा
तहसील सैवढ़ा, जिला–दतिया (म.प्र.)
.......अनावेदक

(4)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 545–एक / 13

जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/3/15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 1507–एक / 09 में पारित आदेश दिनांक 4–12–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदकगण एवं अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्तों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के प श्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकों ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	